उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-141/2021/956/71-3-2021-
लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2021

शुद्धि पत्र

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत निर्माणाधीन 06 मेडिकल कालेजों में विद्युत संयोजन हेतु शासनादेश संख्या-140/2021/ई-1833745/72-3-2021, दिनांक 24.11.2021 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को संशोधित करते हुए निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है:-

क्र0 सं0	मे0का0 का नाम	प्रायोजना की मूल लागत	शासनादेश दिनांक 21.09.2021 द्वारा धनराशिअवमुक्त (करोड़ में 0रू)	वांछित पुनरीक्षित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली संशोधित धनराशि (में 0रू)	अतिरिक्त रूप से पूर्व में अवमुक्त धनराशि 0रू) (में
1	2	3	4	5	6	7
1	देवरिया	207.9132	6.6661	6,14,51,086.00	--	52,09,914.00
2	मीरजापुर	232.9728	6.57	6,55,81,535.00	--	1,18,465.00
3	गाजीपुर	202.4336	5.59	07,20,62,958.00	1,61,62,958.00	--
4	सिद्धार्थनगर	226.0442	1.0457	1,24,04,697.00	19,47,697.00	--
5	प्रतापगढ़	213.0075	6.6059	7,89,13,000.00	1,28,54,000.00	--
6	हरदोई	206.332	7.1862	5,76,22,225.00	1,42,39,77500.	--
		योग-	**33.6639**	**34,80,35,501.00**	**4,52,04,430.00**	53,28,379.00

2- शासनादेश संख्या-125/2021/ई-1532451/71-3-2021, दिनांक 21.09.2021 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई में विद्युत संयोजन हेतु पूर्व में रू0 7.1862 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। पुनरीक्षित आगणन में विद्युत संयोजन की लागत कम होकर रू0 5,76,22,225.00 हो गयी है। इस प्रकार विद्युत संयोजन हेतु अतिरिक्त रूप से अवमुक्त धनराशि रू0 1,42,39,775 00. का अंकन तालिका के कालम-7 में किया जाना था जबकि टंकण त्रुटिवश उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-6 (मेडिकल कालेज, हरदोई) के सम्मुख कालम-6 में अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 24.11.2021 के तालिका के क्रमांक-6 के स्थान पर "कालम-7 (धनराशि रू0 1,42,39,775 00.)" में पढ़ा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 21.09.2021 द्वारा मेडिकल कालेज, हरदोई में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त् धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से अवमुक्त धनराशि (कालम-7 के अनुसार) को वापस किये जाने के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-141/2021/956 (1)/71-3-2021 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।